

दिनांक-22.06.2026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र की पत्रावली प्रस्तुत हुई।

आज आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से इस अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल न देने का कथन करते हुए तत्सम्बन्धी पृष्ठांकन जमानत प्रार्थनापत्र पर अंकित किया गया।

चूँकि, आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल नहीं दिया गया है, तदुसार बल न दिए जाने के कारण यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित हो।

प्रभारी, अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या-03, मथुरा।